**न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद शिवहर।**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–178/2026**
**पुरनहियॉ थाना कांड संख्या–60/2026**
**सरकार बनाम् अमन कुमार उर्फ अमन जी**
**CNR No. BRSO010010082026**

01. अमन कुमार उर्फ अमन जी, पिता–उमेश कुमार सिंह, उम्र–20 वर्ष, सा0–बसंत जगजीवन, थाना–पुरनहिया, जिला–शिवहर .....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता– श्री पुरूषोत्तम कुमार ।

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक–श्री दिलीप कुमार।

**उपस्थितिः बृजेश मणि त्रिपाठी,**
**अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,**
**शिवहर।**
**29.04.2026**

**दिनांक 29.04.2026**

**आदेश**

आवेदक 1. अमन कुमार उर्फ अमन जी, पिता–उमेश कुमार, सा0–बसंत जगजीवन, थाना–पुरनहिया, जिला–शिवहर, जिन्हें पुरनहियॉ थाना कांड संख्या–60/2026, अन्तर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम कुमार के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको तथा अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार को सुना गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–02.03.2026 को सूचक पी0टी0सी0, संजय कुमार सिंह, पुरनहियॉ थाना को समय करीब 00:05 बजे गुप्त सूचना मिली की ग्राम–बसंत जगजीवन के निवासी अमन जी अपने दरवाजे पर कुछ सहयोगियों के साथ मिनी पिकअप के तहखाना में शराब छुपाकर लेकर आया है और दरवाजे पर अनलोड करने वाला है। उक्त सूचना पर जब सूचक बताये गये स्थान पर पहुॅचे तो देखे की एक व्यक्ति मिनी पिकअप के पास खड़ा तथा दो व्यक्ति पिकअप के अंदर हैं। छापेमारी दल को देखेते ही तीनो व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे। जिसमें से दो को साथ के पुलिस बल के सहयोग से पकड़ने का प्रयास किया गया, जिन्होने अपना नाम 1. बाबुलाल साह उर्फ उर्फ जगजीवन एवं 2. जयकिशोर बताया परंतु एक व्यक्ति भागने में सफल रहा जिसका नाम–अमन जी पकड़ाये गये व्यक्ति के द्वारा बताया गया। पुलिस के कार्यवाही देखकर लोग जमा होने लगे, परंतु कोई भी व्यक्ति साक्षी बनने के राजी नही हुए तो पुलिस बल में शामिले दो चौकीदार 1. रामबाबू पासवान एवं 2. राजेन्द्र पासवान को साक्षी मानकर तथा तलाशी नियमों का पालन एवं विडियोग्राफी करते हुए उक्त पिकअप जिसका रजि नं0–बी.आर.06जी.जी. 4167 की तलाशी लेने के क्रम में पिकअप के सीट के अन्दर बने तहखाना में रखे शराब का गिनती किया तो 300 एम.एल. का 620 बोतल कुल 186 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामद हुआ। बरामद अवैध नेपाली शराब एवं पिकअप जिसका रजि0 नं0–बी.आर.06जी.जी.–4167 को विधिवत जप्त कर उसकी जप्ती सूची तैयार किया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि आवेदक निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया

लगातार/2

**न्यायालयः बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद शिवहर।**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–178/2026**
**पुरनहियॉ थाना कांड संख्या–60/2026**
**सरकार बनाम् अमन कुमार उर्फ अमन जी**
**CNR No. BRSO010010082026**

**लगातार/2**
**29.04.2026**

गया है और ना ही लंबित है। आवेदक का पूर्व से दो अपराधिक इतिहास है। आवेदक प्राथमिकी अभियुक्त नहीं है। आवेदक सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं एवं कथन करते हैं कि धारा–76(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम इस तरह के मामलों में अग्रिम जमानत को पोषणीय नहीं पाता है। अतः आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमान आवेदन को खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि जप्त शराब आवेदक के घर के सामने खड़े वाहन से जप्त किया गया है। उक्त वाहन के अन्दर से आवेदक का ड्राइविंग लाईसेंस भी बरामद हुआ। जिससे आवेदक का प्रत्यक्ष रूप से सबंध होना प्रतित होता है। आवेदक के विरूद्व पूर्व से उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत दो मामले संस्थित है। आवेदक के विरूद्व कांड दैनिकी में उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया अपराध कारित करने का अभियोग प्रतीत होता है। वाद अभी अनुसंधान अतंर्गत है। उत्पाद अधिनियम की धारा–76(2) के तहत उत्पाद अधिनियम से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों, जप्त शराब की मात्रा एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–**अमन कुमार उर्फ अमन जी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

**लेखापित एवं शुद्विकृत**
**ह/0**
**अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,**
**शिवहर।**
**29.04.2026**